<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक- 22.08.2025</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **चोरी की घटना का सफल अनावरण,**
- **चोरी के आभूषण (कीमत करीब 05 लाख रुपये) व नगदी के साथ शातिर चोर गिरफ्तार,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनाँक 21.08.2025 थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखविर की सूचना पर समय करीब 21:58 बजे रात्रि में एच0एम0 मेमोरियल स्कूल की बाउन्ड्री वाल के किनारे से अभियुक्त बाबूलाल पुत्र रामसेवक उम्र करीब 58 वर्ष निवासी लालनपुरा मोहल्ला थाना मोठ जनपद झांसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से थाना क्षेत्रान्तर्गत 02 अलग- अलग स्थानों से चोरी किए गए आभूषण व नगदी (01 प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में 01 पैन्डेंट (सोना), 01 अगूँठी (सोना), 01 चैन पैन्डेंट सहित 01 जोड़ी कान के टॉप्स (सोना), 03 कान के टॉप्स (सोना), 01 चैन (सोना) एवं 2000/- रूपये नगदी) बरामद हुआ। पूर्व में घटित चोरी के सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार में मु0अ0सं0 252/25 धारा 303(2)/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 120/25 धारा 305(A) बीएनएस का अपराध पंजीकृत है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में उक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस का समावेश करते हुए विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनांक 29.03.2025 को वादी महन्त शालिकराम दास त्यागी पुत्र स्व0 सूरज सिंह नि0 ग्राम सेमरा थाना दिनारा जिला शिवपुरी (म0प्र0) हाल निवासी महन्त आश्रम आल्हा घाट सीपरी रोड थाना सीपरी बाजार, झाँसी द्वारा उसके आलाघाट आश्रम स्थित हनुमान मन्दिर में रखी दान पेटिका का ताला अज्ञात चोर द्वारा तोड़कर जमा राशि चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 120/2025 धारा 305(A) बीएनएस एवं दिनांक 05.07.2025 को श्री हरमीत सिंह नंदा पुत्र स्व0 मेहताब सिंह नन्दा नि0 म0न0 36 /23 प्रेमगंज बड़े कुए के पास सीपरी बाजार झाँसी के घर ताला अज्ञात चोर द्वारा तोड़कर सोने-चाँदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 252/25 धारा 303(2)/331(4) बीएनएस के अभियोग पंजीकृत किये गये थे। अभियोगों के सफल अनावरण हेतु पुलिस की टीमें गठित की गयी थीं।

पुलिस टीमों द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चोरी गये माल की बरामदगी की गयी है।

अभियुक्त का विवरण - बाबूलाल पुत्र रामसेवक उम्र करीब 58 वर्ष निवासी लालनपुरा मोहल्ला थाना मोठ जनपद झांसी ।

बरामदगी का विवरण

1. मु0अ0सं0 120/25 से सम्बन्धित 2,000/- रूपये की नगदी
2. मु0अ0सं0 252/25 से सम्बन्धित 01 प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में 01 पैन्डेंट (सोना), 01 अगूँठी (सोना), 01 चैन पैन्डेंट सहित 01 जोड़ी कान के टॉप्स (सोना), 03 कान के टॉप्स (सोना), 01 चैन (सोना) (कीमत करीब 05 लाख रुपये)।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. श्री आनन्द कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार, झाँसी
2. उ0नि0 श्री प्रदीप शर्मा, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
3. का0 98 धारा सिंह, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
4. का0 868 पंकज कुमार, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
5. का0 927 सुधांशू मिश्रा, थाना सीपरी बाजार, झाँसी